	एम टी आई कॉर्पोरेट नीति मैनुअल	विषय: भ्रष्टाचार-विरोधी तथा रिश्त विरोधी		पृष्ठ 4 का 1
		कार्य: कर्मी दायित्व	नीति # 310	
		अनुप्रयोग: समस्त एमटीआई कर्मी	स्थान: समस्त एमटीआई स्थान	

प्रयोजन

यह भ्रष्टाचार-विरोधी नीति ("नीति") U.S. विदेशी भ्रष्ट व्यवहार एक्ट ("FCPA") की आवश्यकताओं के साथ तथा जहाँ हम कारोबार करते हैं, उन न्यायक्षेत्रों में रिश्त-विरोधी कानूनों के अनुपालन हेतु डिजाइन की गई है और विश्वभर में कंपनी कारोबार के संचालन में रिश्तखोरी तथा आधिकारिक भ्रष्टाचार से बचाव हेतु कंपनी कर्मचारियों तथा कारोबारी सहयोगियों के द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए अंगीकृत की गई है।

व्यापकता

यह नीति मिनरल टेक्नोलोजिज इंक तथा इसकी U.S. तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों, संबद्धों, सहभागियों, उद्यमों तथा अन्य कारोबारी सहयोगों, जिन्हें मिनरल टेक्नोलोजिज इंक द्वारा, प्रत्यक्ष या परोक्ष ("कंपनी" या "एमटीआई"), प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाता है, पर पूरे विश्व में लागू होती है। यह कंपनी के सभी निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मियों पर लागू होती है।

नीति


ना कंपनी ना ही कंपनी की ओर से कार्य कर रहा कोई तीसरा पक्ष किसी "सरकारी अधिकारी" या किसी अन्य व्यक्ति या निजी या वाणिज्यिक क्षेत्र समेत किसी निकाय को "किसी मूल्यवान वस्तु" का प्रस्ताव, वादा, अनुज्ञा या भुगतान नहीं करेगा, जहाँ इसका उद्देश्य प्राप्तकर्ता को अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करना अथवा एक अनुचित "कारोबारी लाभ" प्राप्त करना है।

इस नीति के प्रयोजनों के लिए:

- "किसी भी मूल्यवान वस्तु" में: नकद, नकद समतुल्य (जैसे गिफ्ट कार्ड), उपहार, यात्रा, भोजन, मनोरंजन, वाहनों का उपयोग, निवास या मूल्यवान लाभ, जैसे मित्रों तथा परिजनों के लिए शिक्षा या नियोजन के अवसर शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं। इस नीति के प्रयोजनों के लिए, "किसी मूल्यवान वस्तु" का कोई न्यूनतम मूल्य नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा उपहार भी "मूल्यवान वस्तु" है।
- "रिश्त" किसी भी "सरकारी अधिकारी" या निजी या वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यक्तियों या निकायों सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या निकाय को एक पेशकश, वादा, भुगतान हेतु अधिकृत करना या "किसी भी मूल्यवान वस्तु" का भुगतान करना है, जहाँ इसका उद्देश्य प्राप्तकर्ता को अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करना अथवा एक अनुचित "कारोबारी लाभ" प्राप्त करना है।
- "कारोबारी लाभ" व्यापक रूप से परिभाषित है। इसमें शामिल है, उदाहरण के द्वारा, कारोबार प्राप्त करना या बनाए रखना, प्राथमिक व्यवहार प्राप्त करना या राजनीतिक या कारोबारी छूटों को हासिल करना।
- "सरकारी अधिकारी" किसी भी चयनित या नियुक्त सरकारी अधिकारी; किसी भी कर्मी या एक सरकारी कर्मी, एजेन्सी, सहायक या उद्यम, जो कि एक सरकारी कार्य करता है, के लिए या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति; एक निकाय जो पूर्णतः या अंशतः सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, के लिए या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति; किसी राजनीतिक दल, अधिकारी, कर्मचारी या एक राजनीतिक दल के लिए या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति या सार्वजनिक कार्यालय के लिए किसी भी उम्मीदवार; या एक सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संघटन के लिए या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से परिभाषित है।
- "मध्यवर्ती" का अर्थ है कोई भी तृतीय पक्ष, चाहे किसी भी उपाधि का हो, जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है; या उसकी ओर से विवेक से कार्य करता है; या कमीशंड सेल्स एजेंटों, वितरकों, विक्रय प्रतिनिधियों, सलाहकारों, प्रचारकों, परिवहन या लॉजिस्टिक उपलब्धकर्ताओं, कस्टम क्लियरिंग एजेंटों, ब्रोकरों तथा संयुक्त उद्यम भागीदारों, और कंपनी के द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी पर कार्यरत गैर-कंपनी तृतीय पक्ष समेत इसके साथ जुड़कर कार्य करता है।

प्रभावी जून 2014

प्रतिस्थापित मूल

	एम टी आई कॉर्पोरेट नीति मैनुअल	विषय: भ्रष्टाचार-विरोधी तथा रिश्वत विरोधी		पृष्ठ 4 का 2
		कार्य: कर्मी दायित्व	नीति # 310	
		अनुप्रयोग: समस्त एमटीआई कर्मी	स्थान: समस्त एमटीआई स्थान	

सामान्य दिशा निर्देश तथा प्रक्रियाएँ

उपहार, मनोरंजन तथा अतिथि-सत्कार

भ्रष्टाचार की अनेक कथित गतिविधियाँ उपहार तथा मनोरंजन के परिप्रेक्ष्य में होती हैं। जबकि उपहार तथा अतिथि सत्कार (परिवहन, निवास, आहार तथा मनोरंजन सहित) कई परिस्थितियों में उचित हो सकते हैं, यह अति महत्वपूर्ण है कि ऐसे उपहार तथा अतिथि सत्कार उस पैमाने पर न किए जाएँ कि यह एक कारोबारी सौदे या व्यवस्थापन में प्रवेश करने का उत्प्रेरक बन जाएँ जो अन्यथा नहीं होते। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थिति में कोई उपहार या अतिथि सत्कार की इस नीति के कोई अन्य प्रावधान कंपनी की [उपहार तथा मनोरंजन नीति](#) या कंपनी की कारोबारी नीतियों के उल्लंघन का कारक नहीं बन सकेंगे या न ही एमटीआई अथवा आपको किसी शर्मनाक स्थिति में लाने वाले होंगे।

विशेष नियमों के कारण, जो कि लागू होते हैं जब अभीष्ट प्राप्तकर्ता एक सरकारी अधिकारी हो, ऐसे किसी व्यक्ति को कोई उपहार या अतिथि सत्कार उपलब्ध कराने से पहले कानून विभाग के एक जिम्मेदार प्रतिनिधि के द्वारा एक पूर्वसमीक्षा तथा लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त की जानी चाहिए।

लेखांकन; खाते तथा अभिलेख

कंपनी आंतरिक लेखांकन नियंत्रण की एक प्रणाली बनाए रखेगी और खातों तथा अभिलेखों को बनाएगी एवं रखेगी जो कि, उचित विस्तार से, परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रबंधन को सटीकता एवं शुद्धता से दर्शाएगी। गलत, भ्रमकारी, तथा अपूर्ण विवरणों को ऐसे अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज करना प्रतिबंधित है। किसी भी प्रयोजन के लिए किसी अघोषित या अनाभिलेखित फंड या खाते को स्थापित नहीं किया जा सकता है।

लेखांकन नियंत्रण की एक प्रणाली बनाई रखी जाएगी जो कि समुचित सुनिश्चितताएं प्रदान करेगी कि (i) सौदे प्रबंधन अनुज्ञा के अनुरूप किए गए हैं; (ii) सटीक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने तथा परिसंपत्तियों के उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए सौदों को अभिलेखित किया जाएगा; (iii) परिसंपत्तियों तक पहुँच की अनुमति प्रबंधन अनुज्ञा के अनुरूप ही दी जाएगी; तथा (iv) समुचित लेखांकन क्रियाकलापों को किया जाएगा।

कंपनी की ओर से बिना उपयुक्त समर्थनकारी दस्तावेजों या इस अभिप्राय या समझ से कि पूर्ण भुगतान या उसके हिस्से को भुगतान के समर्थन में दिए दस्तावेजों में दर्ज विशिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन से किसी भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी या न किया जाएगा।

धन आशोधन

धन आशोधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई आय के अवैध स्रोत के अस्तित्व को छिपाता है और फिर उस आय को वैध प्रतीत कराने हेतु आवरण में रखता है। अवैधता से दूषित प्रक्रिया का कंपनी के द्वारा प्रयोग संयुक्त राज्य तथा अन्य देशों, जहाँ कंपनी कार्य करती है, में दायित्व उत्पन्न कर सकता है। कर्मियों को विधि विभाग से संपर्क करना चाहिए यदि वे संदेहात्मक परिस्थितियों से अवगत हों जो उन्हें यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करती हों कि किसी सौदे में गैरकानूनी गतिविधि की प्रक्रिया में भुगतान अथवा प्राप्ति हो सकती है।

सुभीता या "ग्रीस" भुगतान

सुभीता भुगतान, जिन्हें "ग्रीस भुगतान" के नाम से भी जाना जाता है, कस्टम क्लियरेंस, अप्रवासन तथा कार्य आज्ञापत्रों तथा टेलीफोन व यूटिलिटी कनेक्शन सहित रोज़मर्रा के कार्यों के प्रदर्शन को तीव्र करने या सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को किए गए छोटे भुगतान (\$100 से कम) होते हैं।

किसी कंपनी कर्मी के द्वारा "सुभीता भुगतान" नहीं किया जा सकता और यह स्पष्ट रूप से निषिद्ध है, जब तक कि: (1) यह एक चिकित्सीय या सुरक्षा आपातकाल के प्रत्योत्तर में सरकारी सेवाओं (जैसे पुलिस या अग्नि संरक्षण या चिकित्सा निकास) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य न हो या (2) व्यक्ति उचित रूप से विश्वास न करता हो कि एक कंपनी कर्मी गंभीर खतरे के आसन्न जोखिम में है और अन्य कोई उपयुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है।

प्रभावी जून 2014

प्रतिस्थापित मूल



एम टी आई
कॉर्पोरेट नीति
मैनुअल

विषय: भ्रष्टाचार-विरोधी तथा रिश्वत विरोधी

पृष्ठ 4 का 3

कार्य: कर्मी दायित्व

नीति # 310

अनुप्रयोग: समस्त एमटीआई कर्मी

स्थान: समस्त एमटीआई स्थान

ऐसे किसी भुगतान को कंपनी के खातों तथा अभिलेखों में सटीकता से तथा पूरी तरह से अवश्य रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और महाधिवक्ता को इसकी तुरंत सूचना दी जानी चाहिए।

राजनीतिक, सामुदायिक तथा धर्मदा दान योगदान

धर्मदा दानों, विद्यालयों, शैक्षिक फंडों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित सामाजिक परियोजनाओं तथा फंडों के लिए मौद्रिक एवं अन्य योगदानों को सावधानीपूर्वक संभाला जाना चाहिए क्योंकि वे भ्रष्ट भुगतान के माध्यम हो सकते हैं। इस जोखिम को न्यूनतम करने के लिए, कंपनी को इस तरह के धर्मदा दानों और परियोजनाओं में आयोजित की गई एक उपयुक्त जांच की आवश्यकता है। ऐसे किन्हीं योगदानों को कंपनी की नीतियों एवं प्रक्रिया का अवश्य अनुपालन करना चाहिए तथा विधि विभाग की पूर्वानुमति की आवश्यकता है।

मध्यवर्तियों तथा सहभागियों के साथ लेनदेन

1. समुचित उद्यम

कंपनी की ओर से कार्य कर रहा कोई भी कंपनी को भ्रष्टाचार तथा जुर्मानों के जोखिम में ला सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए कंपनी के लिए आवश्यक है कि उन मध्यवर्तियों की जाँच हो जिसके साथ कंपनी कारोबार करने का अभिप्राय रखती है, जब किन्हीं “भयसूचक चिह्नों” (नीचे वर्णित) या अन्य संदेहात्मक परिस्थितियों के अस्तित्व में होने का विश्वास हो। ऐसी परिस्थितियों में, एक समझौता या संबंध का प्रस्ताव कर रहा कंपनी कर्मी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे किसी समझौते या संबंध में प्रवेश करने से पहले समुचित उद्यम किया गया है।

एक समुचित उद्यम जाँच में संभावित मध्यवर्तियों या सहभागियों की प्रतिष्ठा, विशेषज्ञता, अनुभव तथा पिछले प्रदर्शन की समीक्षा; सरकारी कर्मचारियों के साथ उनके संबंध, यदि कोई हो; विद्यमान परिस्थितियों में प्रस्तावित भुगतान इंतजामों की समुचितता; और सौदे में प्रवेश करने के लिए कारोबारी प्रस्ताव शामिल होने चाहिए। कुछ परिस्थितियों में, एक मध्यवर्ती या सहभागी की प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता तथा वित्तीय स्थिरता की पुष्टि के लिए निजी जासूसों को नियुक्त करने की अनिवार्यता हो सकती है। ऐसी किसी जाँच को विधि विभाग की पूर्व-अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए।

यह कंपनी की नीति है कि मध्यवर्तियों को रखने के लिए सभी अनुबंधों की विधि विभाग द्वारा पहले से अनुमति ली जानी चाहिए। मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आगे FCPA में दिए गए कुछ मानक प्रावधानों को और जिन्हें विधि विभाग द्वारा विकसित किया गया है, सभी समझौतों में शामिल किया जाना चाहिए।

2. “भयानक चिन्ह” परिस्थितियाँ

FCPA के अंतर्गत कंपनी को ना केवल अपने कर्मचारियों की गतिविधियों, बल्कि कुछ परिस्थितियों में इसके मध्यवर्तियों के कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। किसी को उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान इस रूप में परिभाषित है जिसमें यह विश्वास शामिल है कि एक अनुचित भुगतान होना “महत्वपूर्ण रूप से निश्चित” है, या इसकी “बहुत ज्यादा संभावना है”। कोई इस दायित्व से दूसरी तरफ देख कर बच नहीं सकता है। यदि “भयानक चिन्ह” हैं, जो प्रश्न खड़े करते हैं, तो इसकी जाँच करने का कर्तव्य है। एक मध्यवर्ती स्थिति में, विशिष्ट मामले जो भयानक चिन्हों का कारण बन सकते हैं, में निम्नलिखित शामिल हैं:

- लेनदेन में एक देश शामिल है जो भ्रष्ट भुगतान के लिए ज्ञात है;
- एक संदर्भ जाँच पक्ष की पृष्ठभूमि या प्रतिष्ठा में कमी का खुलासा करता है;
- समुचित उद्यम खुलासा करता है कि पक्ष एक खोल है या कुछ अन्य अपारंपरिक संरचना है;
- पक्ष स्पष्ट रूप से योग्य नहीं है या उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं रखता है, जिसके लिए इसे नियोजित किया गया है या बनाए रखा गया है;

प्रभावी जून 2014

प्रतिस्थापित मूल



एम टी आई
कॉर्पोरेट नीति
मैनुअल

विषय: भ्रष्टाचार-विरोधी तथा रिश्वत विरोधी

पृष्ठ 4 का 4

कार्य: कर्मी दायित्व

नीति # 310

अनुप्रयोग: समस्त एमटीआई कर्मी

स्थान: समस्त एमटीआई स्थान

- पक्ष की अनुशंसा एक सरकारी कर्मचारी या ग्राहक, विशेषकर वह जिसे मुद्दे के मामले में विवेकाधीन अधिकार है, के द्वारा की गई है।
- पक्ष का एक आवृत्त व्यक्ति या एक आवृत्त व्यक्ति के संबंधी के साथ एक निकट का व्यक्तिगत, पारिवारिक या कारोबारी संबंध है या आवृत्त व्यक्तियों को विशाल या बार-बार राजनीतिक योगदान करता है;
- पक्ष सुझाव देता है कि धन की एक विशिष्ट मात्रा की आवश्यकता कारोबार को प्राप्त करने या एक विशेष सौदे को पूरा करने के लिए होगी;
- पक्ष असामान्य अनुबंध शर्तों या भुगतान व्यवस्थाओं जैसे कि धन का नकद भुगतान, अन्य देश की मुद्रा में भुगतान या तीसरे देश में भुगतान के लिए आग्रह करता है, जो अमेरिकी तथा स्थानीय कानून के अंतर्गत धन आशोधन चिंताओं को जन्म देता है;
- पक्ष कंपनी के साथ अनुबंधों में भ्रष्टाचार-विरोधी तथा रिश्वत-विरोधी प्रस्तुतियों, वारंटियों तथा अनुबंधों और संबंधित भाषा पर आपत्ति करता है;
- पक्ष किसी लाभ प्राप्त करने वाले या अन्य अप्रत्यक्ष स्वामियों सहित अपने स्वामित्व का खुलासा करने से इनकार कर देता है, या चाहता है कि उसकी पहचान, या यदि पक्ष एक कंपनी है तो कंपनी के मालिकों, प्रमुखों या कर्मियों की पहचान जाहिर न की जाए; या
- पक्ष का कमीशन या शुल्क उस भौगोलिक क्षेत्र में इसी प्रकार की सेवा के लिए सामान्य दर से ज्यादा हो या कहीं और ऐसी ही सेवाओं के लिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई दरों से अनुचित रूप से ज्यादा हो।

ऊपर दी गई सूची परिपूर्ण नहीं है, और कंपनी कर्मियों को तीसरे पक्षों जिनके साथ कंपनी कारोबार करती है या कारोबार करने का प्रस्ताव करती है, उससे संबंधित किन्हीं संदेहात्मक परिस्थितियों के लिए अवश्य सतर्क रहना चाहिए। यदि पृष्ठभूमि जाँच या – बाद में पक्ष के साथ कारोबारी संबंध – किन्हीं भयानक चिन्हों का खुलासा करते हैं, तो ज्यादा गहरी जाँच की आवश्यकता हो सकती है। भयानक चिन्ह विधि विभाग के ध्यान में तुरंत लाए जाने चाहिए।

सरकारी अधिकारियों का नियोजन

सरकारी अधिकारियों को (एक एजेंट, प्रचारक, सलाहकार आदि के रूप में) नियोजित करना अनुमत हो सकता है लेकिन यह सावधानी से किया जाना चाहिए। इसी सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए जहाँ एक संभावित कर्मचारी या एजेंट एक संघटन से संबद्ध है जिसे एक सरकारी उपकरण माना जा सकता है, जिसका एक सरकारी अधिकारी के साथ परिचित संबंध हो या पहले सरकारी सेवा में संलग्न थी। इन संबंधों को अवश्य ऐसे संरचित किया जाना चाहिए कि वे FCPA तथा स्थानीय कानून की आवश्यकता को पूरा करें। किसी ऐसे संबंध हेतु समझौता वार्ता विधि विभाग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जानी चाहिए।

प्रभावी जून 2014

प्रतिस्थापित मूल